राजस्थान सरकार
कार्यालय शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त, ईजीएस

क्रमांक: प-2/ई.जी.एस./आई.ई.सी./विविध/09-10 जयपुर,दिनांक: 15 MAY 2009

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
समस्त,राजस्थान

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (नरेगा) के प्रचार–प्रसार के संबंध में।

महोदय,

जैसाकि आपको विदित है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (नरेगा) की सफलता जन भागीदारी पर निर्भर है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी से यह ज्ञात हुआ है कि अभी तक जन सामान्य को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। हालांकि कार्य को प्रारम्भ करते समय जिलों में कुछ. आई.ई.सी. गतिविधियों का संचालन किया गया था, किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आई.ई.सी. हेतु लोक कलाकारों का उपयोग एक सशक्त माध्यम बन सकता है। इसके लिए लोक कलाकारों को कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर मानदेय भी दिया जाता है, इनकों जिला स्तर पर नरेगा का प्रचार–प्रसार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस संबंध में आप आवश्यक कार्यवाही कर अवगत करायें।

भवदीय,
14/5/09

(राजेन्द्र भाणावत)
शासन सचिव,ग्रा.वि.एवं आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि आयुक्त, भू–संरक्षण एवं जलग्रहण विकास, राज0 जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

14/5

शासन सचिव,ग्रा.वि.एवं आयुक्त, ईजीएस